

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अगस्त 2020—श्रावण 28, शक 1942

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2020 (श्रावण 28, 1942)

क्र. 7705-म.प्र.वि.स.-15-विधान-20.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कण्डिका 92(3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस दल के नेता श्री कमलनाथ, सदस्य को नेता प्रतिपक्ष मान्य किया गया है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.